भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2229**

दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 को उत्तर के लिए

**महिला पुलिस स्वयंसेवक**

**2229. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों में महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना लागू की र्ग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्रियान्वयन की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या स्थिति है; और

(ग) क्या सरकार ने सभी राज्यों में इस योजना को लागू करने के लिए कोई समय-सीमा तय की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी** **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला पुलिस स्वयंसेवकों (एमपीवी) की तैनाती की परिकल्पना की है जो कि पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेगी और संकट में पड़ी महिलाओं की मदद करेंगी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी प्रमुख सचिवों से अपने अपने संबंधित राज्यों में इस पहल को अपनाने का अनुरोध किया गया था। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निर्भया निधि के अंतर्गत करनाल और महेन्द्रगढ़ जिले में इस पहल को प्रायोगिक आधार पर अपनाने वाला हरियाणा पहला राज्य था। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर इस स्कीम को 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसमें से सात राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मिजोरम, त्रिपुरा में इसका प्रचालन किया गया है। सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की है।

*****